

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व परखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- खिन्वारी

प्रकरण संख्या:- 311/25

दिनांक:- 3-10-2025

उनवान

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

श्री गोकल पुत्र
कल्याण गुर्जर

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुर्रुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का खिन्वारी भू. अ. नि. आइलका/कवा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम खिन्वारी प 0 ह 0 खिन्वारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 48 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	<u>बैंक का नाम</u>	<u>स्टेल के के आंध</u> <u>बीकानेर 2505</u> <u>जयपुर शाखा</u> <u>चौथ का बरवाड़ा</u>	<u>स्टेल बैंक</u> <u>ऑफ शेरिया</u> <u>शाखा चौथ का</u> <u>बरवाड़ा (शेड</u> <u>ब 0 प 0 म 1)</u>

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गोकल पुत्र कल्याण गुर्जर ।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

